संख्या-253/2017/1869/22-2-2016-17(78)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाली पुत्र श्री जालम, निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बाली पुत्र श्री जालम, निवासी ग्राम-बिरधा, थाना-तालबेहट, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। पूर्व से चल रही रंजिश एवं मुकदमेबाजी के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26-08-1986 को बल्लम, कुल्हाडी एवं लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की और कई लोगों को घायल किया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 में भा0द0वि0 की धारा-147, 307/149, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दिनांक 31-05-1988 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-12-1988 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.10.2015 तक 26 वर्ष 02 माह 17 दिन की अपरिहार एवं 51 वर्ष 10 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 52 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में सक्षम होने एवं बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि पूर्व से चल रही रंजिश एवं मुकदमेबाजी के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26-08-1986 को बल्लम, कुल्हाडी एवं लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की और कई लोगों को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाली पुत्र श्री जालम को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बाली (बन्दी संख्या-15111) पुत्र श्री जालम, निवासी जनपद-ललितपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-253/2017/1869(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ललितपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-253/2017/1869@22-2-2016-17(78)/2009

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी बाली (बन्दी संख्या-15111) पुत्र श्री जालम, निवासी ग्राम-बिरधा, थाना-तालबेहट, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। पूर्व से चल रही रंजिश एवं मुकदमेबाजी के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26-08-1986 को बल्लम, कुल्हाडी एवं लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की और कई लोगों को घायल किया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 में भा0द0वि0 की धारा-147, 307/149, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दिनांक 31-05-1988 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-12-1988 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.10.2015 तक 26 वर्ष 02 माह 17 दिन की अपरिहार एवं 51 वर्ष 10 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 52 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में सक्षम होने एवं बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि पूर्व से चल रही रंजिश एवं मुकदमेबाजी के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26-08-1986 को बल्लम, कुल्हाडी एवं लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की और कई लोगों को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाली पुत्र श्री जालम को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in